उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-622/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.190-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(240)-2022

लखनऊः दिनांकः 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-844/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(11)-2017 दिनांक-30-06-2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में-,

(1) क्रम संख्या 1 के समक्ष, स्तम्भ (2) में-

(क) शब्द, अंक और प्रतीक "जिसने 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान नहीं किया है" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

परन्तु यह और कि इस प्रविष्टि में अन्तर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी, जहाँ-

i. पूर्तिकर्ता ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराया हो और अग्रिम प्रभार के अधीन अपने द्वारा पूर्त किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया हो, और

ii. पूर्तिकर्ता ने प्राप्तिकर्ता को लागू दरों पर राज्य कर लगा कर बीजक जारी किया हो, और अपने द्वारा जारी ऐसे बीजक पर अनुलग्नक III में यथाविहित घोषणा की हो।;"

(2) क्रम संख्या 5 के समक्ष, स्तम्भ (2) में, उपखण्ड (2) में, मद (i) में, शब्द "स्पीड पोस्ट, एक्लप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और अभिकरण सेवाओं के रूप में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न किसी व्यक्ति को दी गयी सेवाएं" निकाल दिये जायेंगे;

(3) क्रम संख्या 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेंगी अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5कक	किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आवासीय भवनों को किराए पर देने के माध्यम से दी गई सेवा।	कोई व्यक्ति	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति।";

(4) अनुलग्नक II के पश्चात् निम्नलिखित अनुलग्नक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"अनुलग्नक III"

घोषणा

मैंने/हमने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करा लिया है और अग्रिम प्रभार के अधीन वित्तीय वर्ष.........के दौरान अपने द्वारा पूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।"

2. यह अधिसूचना तारीख 18 जुलाई, 2022 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुख सचिव